27 05/25

वकील वादी व प्रतिवादी एवं पक्षकारान के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा के साथ पत्रावली को आज सुनवाई पर लिये जाने का अनुरोध करने से पत्रावली रिकॉर्ड से तलब कर आज सुनवाई पर ली गई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उपस्थित वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा की गई एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सोहनसिंह सोलंकी द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि बेडा। के खसरा नंबर 1691, 1697, 1698 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.14 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा (प्रतिवादी संख्या 01 लगाये 04 का पृथक पृथक 1/8, 1/8 हिस्सा) दर्ज है तथा इसी हिस्सा अनुसार पक्षकारों ने राजीनामा करते हुये वादी के बंट में तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के बंट में निम्नानुसार विभाजन किये जाने का राजीनामा पेश किया है।

वादी के हिस्से बंट की भूमि		प्रतिवादी के हिस्से बंट की भूमि	
खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1691 मेंसे	0.36 हैक्टर	1691 मेंसे	0.36 हैक्टर
1697 मेंसे	0.58 हैक्टर	1697 मेंसे	0.71 हैक्टर
1698 संपुर्ण	0.13 हैक्टर		
योग–03	107 हैक्टर	योग–02	1.07 हैक्टर

तथा लगान का भी विभाजन कर दिया है, नजरी नक्शे में प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से भी दर्शा दिया है। जिससे प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि के सबंध में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है। प्रस्तुत राजीनामा, मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री का भाग माना जावे। इसी अनुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम हेतु तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

<u>वादी</u> :–

अम्बादान पुत्र रावता जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली

बनाम

<u>प्रतिवादीगण</u> :–

1. कमला देवी पत्नी स्व. हनवंतसिंह
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हनवंतसिंह उर्फ हडमतसिंह
3. कुलदीपसिंह पुत्र स्व. हनवंतसिंह उर्फ हडमतसिंह
4. गोविन्दसिंह पुत्र स्व. हनवंतसिंह उर्फ हडमतसिंह जाति राव निवासी रेबारियों का वास, महादेव मंदिर क्षेत्र, जलदाय विभाग कार्यालय के सामने वाली गली, जालोर चौराहा सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/394

<u>वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद विभाजन माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम बेडा। के खसरा नंबर 1691, 1697, 1698 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.14 हैक्टर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :–

वादी के हिस्से बंट की भूमि		प्रतिवादी के हिस्से बंट की भूमि	
खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1691 मेंसे	0.36 हैक्टर	1691 मेंसे	0.36 हैक्टर
1697 मेंसे	0.58 हैक्टर	1697 मेंसे	0.71 हैक्टर
1698 संपुर्ण	0.13 हैक्टर		
योग–03	107 हैक्टर	योग–02	1.07 हैक्टर

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा, मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-05-25 को जारी की गई।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

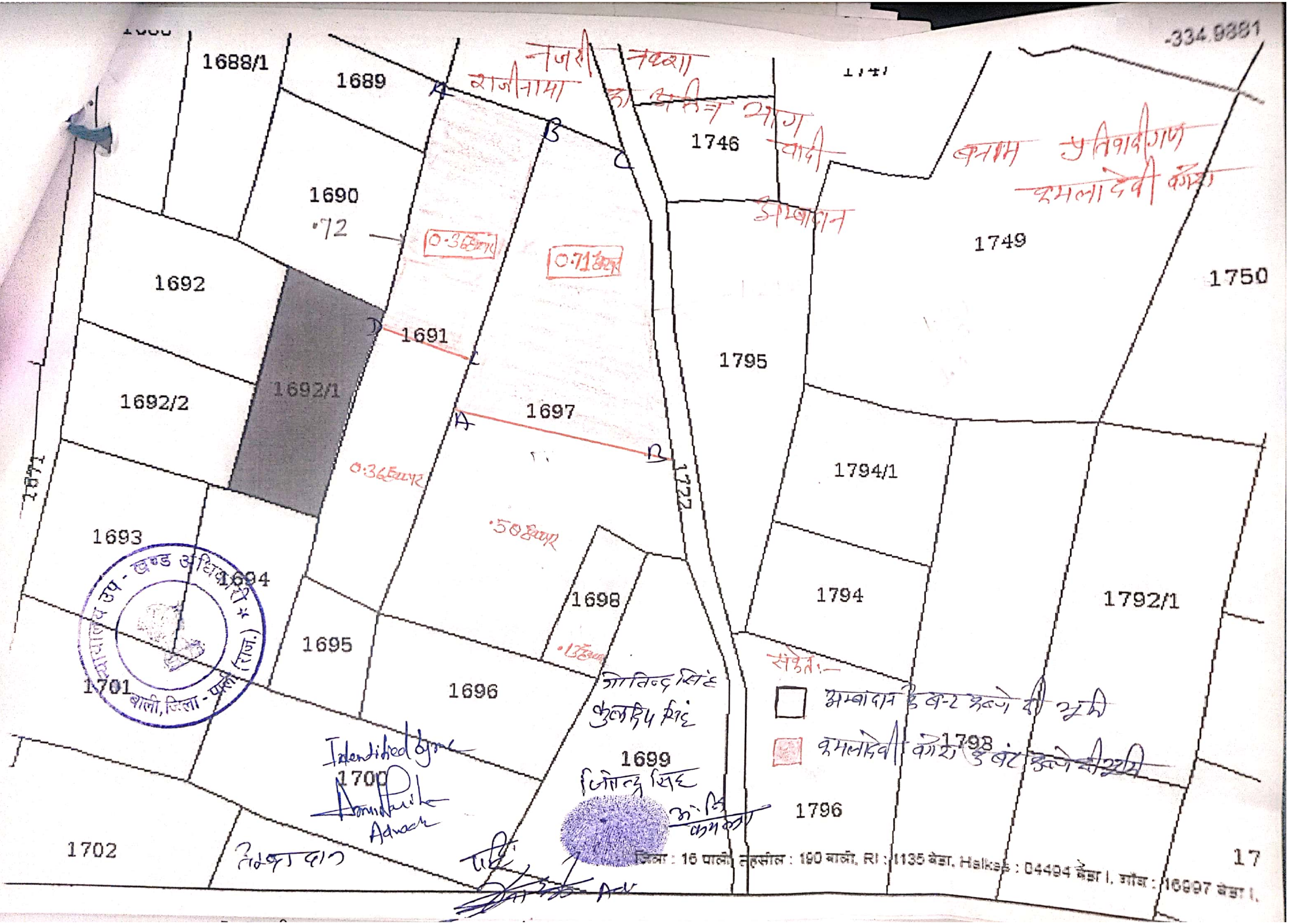

Scanned with CamScanner